



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 1201/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011-02-मा०सं०(04)/2002

दिनांक 30 सितम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

निगम के लखनऊ में कार्यरत कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्यता सम्बन्धी आदेश संख्या-505- मा०सं०-02/उ०नि०लि०/2005-67-मा०सं०-02/2001 दिनांक 23.03.2005 तथा संख्या: 306-मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2001-67-मा०सं०(04)/2001 दिनांक 07.02.2007 के क्रम में वाहन भत्ता निगम की लखनऊ स्थित तकनीकी इकाईयों यथा पी०पी०एम०एम०, परिचालन अनुश्रवण, आर० एण्ड एम० इत्यादि में कार्यरत कार्मिकों को भी उक्त आदेश में लागू दरों पर, एतद्वारा 01.10.2011 से अनुमन्य किया जाता है।

निदेशक मंडल की आज्ञा से

संख्या: 1201 (1) मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011 तददिनांक 30.09.2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. ~~महा~~ प्रबन्धक (मानव संसाधन) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, पी०पी०एम०एम०/जानपद/आर०एण्ड एम०/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।

PM-3
Omwehite
30/9/11

मुख्य अभियन्ता
मानव संसाधन

आज्ञा से,
dshms
(एम०डी० मिश्र)
अनुसचिव (मा०सं०-04)